न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 06 / 2018
दायर दिनांक :— 28—06—2018
निर्णय दिनांक :— 30—07—2019

अनवान

मीठालाल पिता भोलीराम गुर्जर निवासी टाडावाडा सोलंकीयान तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

————अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, गढबोर
प्रकरण संख्या 754 / 2014 निर्णय दिनांक 13—11—2017

उपस्थित :—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या राजकीय अधिवक्ता

—: निर्णय :—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 1386 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 350 / — आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 13.11.2017 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय
ी पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट
ारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र
के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को
ण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधिनस्थ
यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं।
धीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है।
पीलाण्ट ने उक्त भूमि जो कि किस्म मगरी थी उस पर काफी मेहनत कर भूमि को विकसित कर
काश्त योग्य बनाया हैं और मगरी भूमि से काफी मेहनत कर लागत लगाकर इस भूमि को फसल
गाने जैसी विकसित की है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी
ानने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने का
वसर नहीं दिया हैं । अपीलाण्ट का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के
रिये बेदखल नहीं किया जा सकता। माननीय सवौच्य न्यायालय ने भी राजस्थान राज्य बनाम
दमावती के मामले में उक्त प्रकार से की जा रही बेदखली की कार्यवाही को विधि विरूद्व एवं अवैध
माना हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है
वह विधिक आदेश की परिभाषा में भी नहीं आता हैं।अपीलाण्ट का वर्षो से कब्जा आधिपत्य चला आ
रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपने पास उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर नियमन
करने की कार्यवाही करनी थी । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड को देखा ही नहीं निर्णय को
लिखाया ही नहीं और अपने मनमकसूद तरीके से आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है।
अपीलार्थी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं दिये गये
ऑब्जर्वेसन को दर किनार करते हुये आलोच्य आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ
न्यायालय ने अपने मनमकसूद तरीके से केवल अपीलार्थी का एक वर्ष का कब्जा होना बताकर उक्त
भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी बताने मे त्रुटि कारित की हैं जबकि माननीय राजस्व अपील
अधिकारी द्वारा कब्जा पुराना मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को अपास्त करते हुये प्रकरण
में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।
अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है
और अपीलाण्ट द्वारा फसल प्राप्त की जा रही है। अपीलाण्ट उक्त भूमि अपने नाम पर नियमन कराने
का भी अधिकारी है। राज्य सरका द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र क्रमांक प.–6(7)
राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु
किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.07.1994 से
बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया गया है। जबकि अपीलाण्ट का कब्जा 1994 से भी पूर्व
का है। अपीलाण्ट का मामला नियमन योग्य हैं लेकिन उसे अपना पक्ष रखने का अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा कोई अवसर नहीं दिया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय
का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील
गढबोर की आराजी नम्बर 1386 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज
कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं
दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.12.2016

वं दिनांक 03.04.2017 को उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय रा प्रकरण में हल्का पटवारी से अतिक्रमी का कब्जा काश्त और मौके की रिपोर्ट चाही गई । टवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मय मौका पर्चा ,जमाबन्दी मय ट्रेस प्रस्तुत कि जो अधीनस्थ यायालय की पत्रावली पर मोजूद है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि अपीलाण्ट श्री ोठालाल पिता भोलीराम गुर्जर का आराजी नम्बर 1386/379 रकबा 7.00 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर सम्वत 2072 एक वर्ष से कब्जा हैं मौके पर वादग्रस्त भूमि पथरीली एवं काबिल काश्त हीं है। अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया या। अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के वेरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की यी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः पील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 1386 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रिमी द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को पर्याप्त दस्तावेज एवं सबूत पेश करने में नाकाम रहे है। मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट श्री मीठालाल पिता भोलीराम गुर्जर का आराजी नम्बर 1386/379 रकबा 7.00 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर सम्वत 2072 एक वर्ष से कब्जा हैं मौके पर वादग्रस्त भूमि पथरीली एवं काबिल काश्त नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा नियमित कब्जा सम्बन्धी कोई दस्तावेज ठोस सबूत साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अपीलाण्ट द्वारा खसरा गिरदावरी की नकल भी पेश नहीं की गई हैं जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी पर कभी फसल बोई गई हो। पथरीली एवं गैर काबिल काश्त भूमि को नियमन नहीं किया जा सकता है। राजस्व ग्राम टाडावाडा सोंलकीयान तहसील गढबोर की आराजी नम्बर 1386 रकबा 7 बीघा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने व शास्ति 350/–रूपये आरोपित करने का अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से मै सन्तुष्ट हूँ । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं । अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द